

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ कैंण्ट मार्ग, चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत आवेदित वन भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(समीर कुमार)
प्रादेशिक निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बरेली.

(अरविन्द कुमार)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली
Executive Engineer
C.D. Building P.W.D.
Bareilly

(
Forest Range Officer
Bareilly Range
Bareilly